

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 2532 / 14-1, बरेली, दिनांक, 27/जनवरी/2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन०एच०-30 (पुराना एन०एच०-24), किमी० 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रिजल्टी प्रा० लि० एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा० लि० द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ:-

आपका पत्रांक - 1594/11सी- 3050 FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- 18.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक 8B/UP/06/250/2021 /FCFP/UP/ Others/26336/2017 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा विषयक मामले में वर्णित आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रमाणीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 3472/14-1 दिनांक 25-01-2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1.	The State Govt. has again the uploaded the same KML file of CA which was submitted earlier with the proposal and still two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation is clearly visible through satellite imagery. Hence, The correct KML file of the area proposed for CA is required to be uploaded on PARIVESH.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क में सेटेलाइट इमेजनरी द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक भूमि पर दर्शाये गये दोनों ढाबे संरक्षित वन भूमि की सीमा रेखा से बाहर है एवं प्रश्नगत ढाबे निजी भूमि पर स्थित है। संरक्षित भूमि अतिक्रमण मुक्त है।
2.	A small forest segment comprising an area of 0.04 hac. has not been included in the present diversion proposal. This 0.04 hac. forest segment directly connects the NH-24 to the construction site. therefore , it is not clear whether this 0.04 hac. broken forest land will be restored to its original state or otherwise. thus the recommendation/view of the state Govt. in this regard required to be submitted.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क में प्रश्नगत 0.04 हे० भूमि की मांग कार्यदायी संस्था (प्रयोक्त एजेन्सी) द्वारा नहीं की गयी है और न ही वर्तमान डायवर्जन प्रस्ताव में शामिल हैं प्रश्नगत वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है। और पुनर्स्थापित करते हुये यथा स्थिति बरकरार की जायेगी इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा शपथ पत्र संलग्न है।
3.	An undertaking regarding implementation of approved CA scheme and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land has not been submitted. therefore the same is required from the state.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क में कार्यदायी संस्था द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक

/14-1, दिनांकित

प्रतिलिपि प्रमाणीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक- 3472/14-1 दिनांक 25.01.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 3472/14-1, बरेली, दिनांक, 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली जिला, बरेली।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगज सराय, तहसील फरीदपुर पर निम्नो स्टार रिजैल्टी प्रा0 लि0 एवं मोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्यपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र सं0: SB/UP/06/250/2021/FCFP/UP/Others/26336/2017 दिनांक 16.12.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1594/11सी- 3050 FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- 18.12.2024 एवं आपका पत्रांक 2174/14-1 दिनांक 20.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी निम्नो स्टार रिजैल्टी प्रा0 लि0 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, फरीदपुर के पत्रांक 276/14-1 दिनांक 13.01.2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है जो निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	भारत सरकार द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों का विवरण	प्रस्तावक से प्राप्त अनुपालन आख्या
1	The State Govt. has again the uploaded the same KML file of CA which was submitted earlier with the proposal and still two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation is clearly visible through satellite imagery. Hence, the correct KML file of the area proposed for CA is required to be uploaded on PARIVESH.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में सेटेलाइट इमेजरी द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक भूमि पर दर्शाये गये दोनों ढाबे संरक्षित वन भूमि की सीमा रेखा से बाहर हैं एवं प्रश्नगत ढाबे निजी भूमि पर स्थित हैं। संरक्षित वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है।
2	A small forest segment comprising an area of 0.04 hac. has not been included in the present diversion proposal. This 0.04 hac. forest segment directly connects the NH-24 to the construction site. therefore, it is not clear whether this 0.04 hac broken forest land will be restored to its original state or otherwise. thus, the recommendation/view of the state Govt. in this regard required to be submitted.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रश्नगत 0.04 हे0 भूमि की मांग कार्यदायी संस्था (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा नहीं की गयी है और न ही वर्तमान डायवर्जन प्रस्ताव में शामिल है। प्रश्नगत वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है और पुनर्स्थापित करते हुए यथा स्थिति बरकरार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा शपथ पत्र संलग्न है।
3	An undertaking regarding implementation of approved CA scheme and the work of Compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land has not been submitted. therefore the same is required from the state.	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो संलग्न है।

अतः प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीया,
25/01/2025
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, फरीदपुर रेंज।

पत्रांक २४६ / 14-1

बरेली दिनांक 13 / 01 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
बरेली।

कार्यालय दिनांक (14-1)

15101/25

3086

विषय:-

जनपद बरेली में शाहजहाँपुर मार्ग एनएच-30 किमी 0 267-268 के मध्य चैनेज 267.64 ग्राम गौसगंज सराय तहसील फरीदपुर में आवासीय कालोनी ओम रेजीडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

संदर्भ:-

आपके कार्यालय पत्रांक 2722 / 14-1 दिनांक 26.12.2024

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक क्रम में भारत सरकार द्वारा इंगित आपत्ति बिन्दुओं पर सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह (उपराजिक), बीट प्रभारी अनिल कुमार(व0र0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल प्रभारी श्री विजय प्रकाश सिंह (उपराजिक) द्वारा संयुक्त जाँच करवायी गयी। जिसको आधार मानते हुए आख्या रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

बिन्दु सं०-1, सेटेलाइट इमेजनरी द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक भूमि पर दर्शाये गये दोनों ढाबे संरक्षित वन भूमि की सीमा रेखा से बाहर है एवं प्रश्नगत ढाबे निजी भूमि पर स्थित है। संरक्षित वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

बिन्दु सं०-2 प्रश्नगत 0.04 है० भूमि की मांग कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं गयी है और ना ही वर्तमान जायवर्जन प्रस्ताव में शामिल है। प्रश्नगत वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है और पुनस्थापित करते हुए यथा स्थिति बरकरार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा शपथ पत्र भी मूल में संलग्न है।

बिन्दु सं०-3. कार्यदायी संस्था द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। मूल रूप में संलग्न है।

संलग्नक - 1. कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया शपथ पत्र मूल में।

2. संयुक्त जाँच रिपोर्ट।

भवदीय,

क्षेत्रीय वनाधिकारी

क्षेत्रीय वनाधिकारी

फरीदपुर रेंज

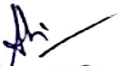
बरेली



Date: 01-01-2025

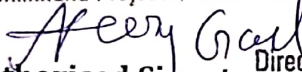
UNDERTAKING

We, hereby giving an Undertaking regarding implementation of approved Compensatory afforestation scheme and the work of Compensatory afforestation will be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land.


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज

**Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited**

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Director
Authorised Signatory

Site Office:

Opp. Future College, Faridpur, Bareilly NH-24

P: 97208 97333, 97208 97555

E: neostar.bareilly@gmail.com

W: www.omresidency.net

Member of:
CREDAI

**Developers: Neostar Realty Private Limited &
Rohilkhand Projects Private Limited**



Scanned with OKEN Scanner



Date: 01-01-2025

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

We hereby confirm that a Small forest segment comprising an area of 0.04 hectare neither been included in the present diversion proposal nor we have demanded the same. This 0.04 hectare forest segment directly connects the NH-24 to the constructed site, therefore, it is clear that 0.04 hectare broken forest land will be restored to its original state.

**Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited**

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Neelam Gaur
Authorised Signatory Director

श्री
वनाधिकारी
फरीदपुर जं.

Site Office:

Opp. Future College, Faridpur, Bareilly NH-24
P: 97208 97333, 97208 97555
E: neostar.bareilly@gmail.com
W: www.omresidency.net

Member of:
CREDAI

Developers: Neostar Realty Private Limited &
Rohilkhand Projects Private Limited



Scanned with OKEN Scanner

कायालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 3997 / 14-1, बरेली, दिनांक, 24/जून/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन०एच०-30 (पुराना एन०एच०-24), किमी० 267-268 के मध्य चैनैज 267640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रिजल्टी प्रा० लि० एवं रोडिलेखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर कानूनी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ:-

आपका पत्रांक - 11सी- 3050 FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- 19.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक 8B/UP/06/250/2021 /FCFP/UP/ Others/26336/2017 दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 4712/14-1 दिनांक 25-06-2024 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
2	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011 द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
3	As per DSS analysis there are two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है।
4	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of 0.04 ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 हे० संरक्षित वन भूमि एनएचआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land;	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

	Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India.	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
8.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
9.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
10.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
11.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
12.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
13.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
14.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
15.	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
16.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
17.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
20.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
21.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
22.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
23.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
24.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
25.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC;		
26.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
27.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
28.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
29.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
05 व 06	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	13,94,394.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	13,94,394.00
07	एनपीबी की धनराशि	4,18,358.00
02	पैनल एनपीबी की धनराशि	10,55,474.00
	कुल एनपीबी की जमा धनराशि (शर्त सं0- 7 + 2)	14,73,832.00
	कुल योग	28,68,226.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित एवं वन (संरक्षण) 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक 3997/14-1, दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक- 4712/14-1 दिनांक 25.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/

प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
पत्रांक 4712 / 14-1, बरेली, दिनांक, 25 जून, 2024

सेवा मे,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेंसी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र सं0: 8B/UP/06/250/2021/FCFP/UP/Others/26336/2017 दिनांक 15 मार्च 2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक - 11सी- 3050 FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- 19.03.2024

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 13.05.2024 से इस कार्यालय को दिनांक 21.06.2024 को प्राप्त हुई है। (संलग्नक-1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
2	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011 द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
3	As per DSS analysis there are two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है।
4	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of 0.04 ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि एनएचएआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land;	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
7	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर

	from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarma Thirumalpad vs. Union of India.	संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ वडोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
8	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
9	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPAs, managed by the National Authority (CAMPAs)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
10	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
11	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
12	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
13	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
14	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
15	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
16	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
17	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
18	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
20	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
21	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
22	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
23	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
24	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
25	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

26	before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
27	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
28	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
29	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
05 व 06	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	13,94,394.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	13,94,394.00
	धनराशि में अंतर	-
	अंतर का कारण	-
07	एनपीबी की धनराशि	4,18,358.00
02	पैनल एनपीबी की धनराशि	10,55,474.00
	कुल एनपीबी की जमा धनराशि (शर्त सं0- 7 + 2)	14,73,832.00
	धनराशि का अंतर	-
	अंतर का कारण	-
	अन्य जमा धनराशि	-
	कैम्पा द्वारा सुनिश्चित	-
	कुल योग	28,68,226.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित एवं वन (संरक्षण) 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

भवदीया
25/06/2024
(दीक्षा भण्डारी)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक /14-1,दिनांकित

प्रतिलिपि डायरेक्टर, नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0, सी-31, कृष्ण जानकी पैलेस, रामपुर गार्डन, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

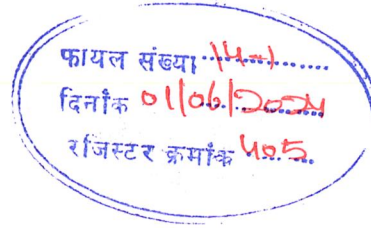


पत्रांक:- MEMO

दिनांक:- 13/May/2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली



विषय:- जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0- FP/UP/ Others /26336/ 2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8B/UP/06/250/2021/FCFP/UP/Others/26336/2017 दिनांक 15.03.2024 एवं आपका पत्रांक 3601/14-1 दिनांक 23.03.2024

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 23 .03 .2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 .03 .2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक 3601 /14-1 दिनांक 23.03.2024 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की बिंदुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रों की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

13/11
लोकेश्वर प्रताप सिंह
उ० क्ष० वना०
क्षेत्रीय अधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Surveyor
D. F. O.

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Ajeet Goyal
Director

Site Office:

Opp. Future College, Faridpur, Bareilly NH-24
P: 97208 97333, 97208 97555
E: neostar.bareilly@gmail.com
W: www.omresidency.net

Member of:
CREDAI

Developers: Neostar Realty Private Limited &
Rohilkhand Projects Private Limited

क्र०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1.	Legal status of diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 1)
2.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 2)
3.	As per DSS analysis there are two dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है (संलग्नक- 3)
4.	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of 0.04 ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि एनएचएआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है (संलग्नक- 4)
5.	The Compensatory afforestation scheme, as approved shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land.	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 5)
6.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA Scheme may include afforestation of indigenous species with	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 6)

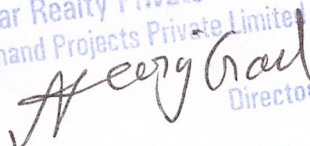
लोकेश्वर प्रताप सिंह
 उ० क्षे० वना०
 से० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited
 Aswary Gaud
 Director

	appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	
7.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal for the User Agency as per the Guidelines given in Chapter-3 of the Consolidated Guideline and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India;	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 7)
8.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 8)
9.	Compensatory levies to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 9)
10.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The much generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the much/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 10)
11.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 11)
12.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 12)


 लोकेन्द्र प्रताप सिंह
 उ० क्षेत्र वना
 से० अ० फरीदपुर-१


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 फरीदपुर रेंज
 बरेली

Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited

 Director

13.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 13)
14.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water- logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 14)
15.	The user agency shall carry out muck disposal at predesignated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 15)
16.	The user agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act: 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 16)
17.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternated duels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 17)
18.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 18)
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 19)
20.	The user agency shall ensure that because of the project, no damage is caused to the wildlife	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 20)

19-11
लोकेश्वर प्रताप सिंह
उ० क्षेत्र वना०
से० अ० फरीदपुर-५

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

	available in the area;	
21.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 21)
22.	The cost of felling trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 22)
23.	The Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 23)
24.	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 24)
25.	The User Agency shall implement the R & R plan, if applicable as per the R & R Policy of the State Government in consonance with National R&R Policy. Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MOEF&CC;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 25)
26.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 26)
27.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 27)

18/11
 लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
 उ० क्षेत्र वना० फरीदपुर रेंज
 से० अ० फरीदपुर-1 बरेली

Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited
 Director

28.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force as applicable to the project ; and	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 28)
29.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by the Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 29)

लोकेश्वर प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षेत्र वना०
से० अ० फरीदपुर-1
फरीदपुर रेंज
बरेली

भवदीय
Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Aparajita Goyal
Director
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रमुख वन्य जीव प्रभाग, बरेली
(प्रमुख वन्य जीव प्रभाग, बरेली)

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on **Generate Challan** to generate challan.

☒ Paid : This icon shows that the payment has been deposited.
☒ To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.
☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014
 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No (New)	Application No	Proposal Name	Category (hs.)	Area (hs.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
1	FP/UP/Others/26336/2017	OTHERS263362017570	19526336570	Ex-Post Facto Proposal 0.4368 Protected Forest Land Proposed to be diverted for service land road to On Residency developed by Neostar Reality Pvt.Ltd. and Ruhikhand Projects Ltd. on NH-30(Old NH-24) Bareilly Shahjahanpur Road between KM.267-268, Ch. 267.640 (LHS) in Bareilly District	Others	0.4368	NEO STAR REALITY PVT LTD	15-3-2024	27-3-2024	☒	Paid	☒



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Govt (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)
(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-
 fc(at)nic(dot)in

लोकेश कुमार सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
 उ० श० वन०
 फरीदपुर रेंज
 बरेली

Neostar Realty Private Limited
 Bahikhand Projects Private Limited
 Ajeet Goyal
 Director

(दीक्षा भण्डारी)

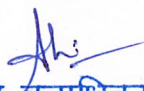
प्रभागीय वन अधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

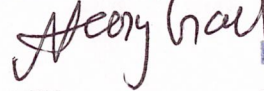
वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 01

शर्त संख्या1-, अनुपालन में नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


लोकेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना०
सो० अ० फरीदपुर-1


फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

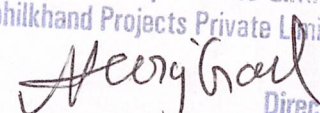
जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 - 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 02

शर्त संख्या2-, अनुपालन में दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है


प्रकाश सिंह
उ० क्ष० बना०
सो० अ० फरीदपुर-2


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

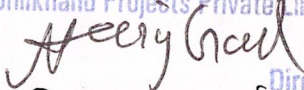
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 03

शर्त संख्या3-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है


डॉ० केन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
सो० अ० फरीदपुर - १


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

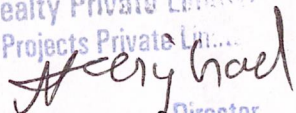
जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 - 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 04

शर्त संख्या 4-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि एनएचएआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है


लोकेंद्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

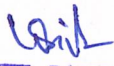
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 05

शर्त संख्या 5-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है


लोकेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षेत्र वना० फरीदपुर रेंज
से० अ० फरीदपुर - २ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

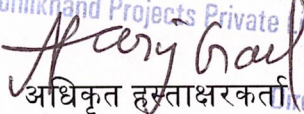
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 06

शर्त संख्या 6-, उपयोगकर्ता एजेंसी वर्तमान मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने और बनाए रखने की लागत राज्य वन विभाग को हस्तांतरित करेगी। सीए योजना में बाद के वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उचित प्रावधान के साथ स्वदेशी प्रजातियों का वनीकरण शामिल हो सकता है;


लोकेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

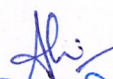

(संक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 - 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

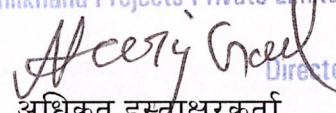
वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 07

शर्त संख्या 7-, प्रमाणित किया जाता है कि एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वन०
से० अ० फरीदपुर-१


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

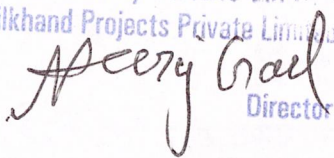
जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 - 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 08

शर्त संख्या 8-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी एनपीवी की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है, यदि ऐसा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार निर्धारित किया गया है;


लोकेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-2


फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)

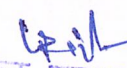
प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

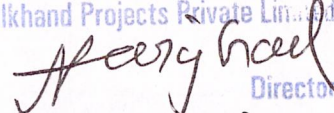
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 09

शर्त संख्या 9-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि के डायवर्जन के एवज में वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति शुल्क, का ई-भुगतान (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से राज्य के संबंधित खाते में स्थानांतरित/जमा किया जाएगा


लोकेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेंज
से० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

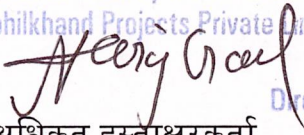
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षो के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 10

शर्त संख्या 10-, प्रमाणित किया जाता है कि ओवरबर्डन को सड़क की चौड़ाई से बाहर नहीं डाला जाएगा। मिट्टी काटने से उत्पन्न अधिकांश भाग को निर्दिष्ट डंपिंग स्थलों पर निपटाया जाएगा और किसी भी स्थिति में अधिक मात्रा/मलबे को पहाड़ी ढलानों से नीचे लुढ़कने नहीं दिया जाएगा।


जयकंद प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-१


फरीदपुर रेंज
बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

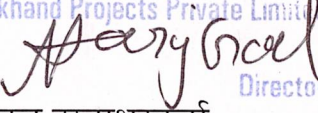
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 11

शर्त संख्या 11-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ढलान को स्थिर बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार रिटेनिंग दीवारें, ब्रेस्ट दीवारें और जल निकासी प्रदान करेगी।


क. क. प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेंज
से० अ० फरीदपुर-५ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

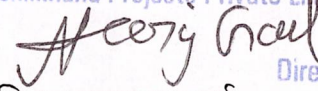
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 12

शर्त संख्या 12-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर व्यापक मृदा संरक्षण उपाय करेगी।


लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वन०
से० अ० फरीदपुर-2


फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

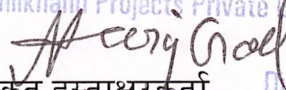

(दक्ष भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 13

शर्त संख्या 13-, प्रमाणित किया जाता है कि जहां भी संभव और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, उपयोगकर्ता एजेंसी परियोजना लागत पर राज्य वन विभाग के परामर्श से, इस अनुमोदन के तहत डायवर्ट किए गए क्षेत्र के भीतर सड़कों के किनारे वनीकरण उपाय करेगी;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षेत्र वना०
से० अ० फरीदपुर-2
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

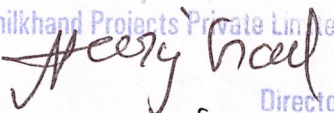
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोंसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 14

शर्त संख्या 14-, प्रमाणित किया जाता है कि जंगली जानवरों की आवाजाही हेतु प्राकृतिक जलधाराओं/नदियों/नहरों पर पुलियों/पुलों, यदि कोई हो, की डिजाइनिंग इस तरह की जाएगी जिससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए, जल-जमाव न हो और रुकावट भी न हो।


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-2


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

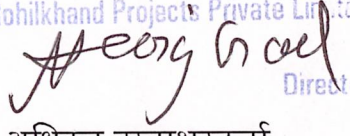
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षो के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 15

शर्त संख्या 15-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पूर्वनिर्धारित स्थलों पर गंदगी का निपटान इस प्रकार करेगी ताकि उसे लुढ़कने से बचाया जा सके;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर -४


फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0



(दीक्षा भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

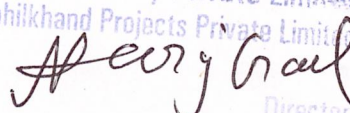


जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षो के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 16

शर्त संख्या 16-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी, यदि आवश्यक हो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम: 1986 के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगी;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

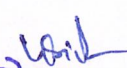
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

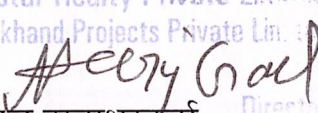
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोंसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 17

शर्त संख्या 17-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा और उपयोगकर्ता एजेंसी साइट पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से जलाऊ लकड़ी प्रदान करेगी ताकि आसपास के वन क्षेत्रों पर किसी भी क्षति और दबाव से बचा जा सके;


लोकेन्द्र प्रताप सिंहवीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेंज
से० अ० फरीदपुर - 2 बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

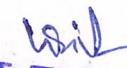
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

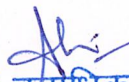

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

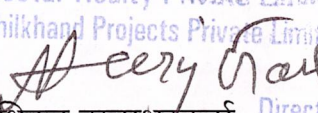
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 18

शर्त संख्या 18-, प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खंभों को खड़ा करके सीमांकित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक पर उसका क्रमांक, आगे और पीछे का असर और एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी अंकित होगी;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर रेंज


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

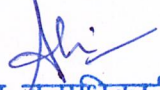

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

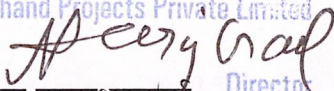
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 19

शर्त संख्या 19-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-2


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

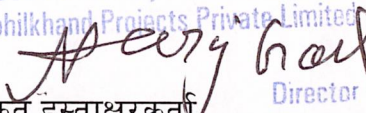
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षो के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 20

शर्त संख्या 20-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के कारण क्षेत्र में उपलब्ध वन्य जीवन को कोई नुकसान न हो;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर - 2
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 21

शर्त संख्या 21-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी काटे जाने के लिए पहचाने गए पेड़ों की अधिकतम संख्या के स्थानांतरण की संभावना तलाशेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पेड़ की कटाई तभी की जाएगी जब यह अपरिहार्य हो और वह भी राज्य वन विभाग की सख्त निगरानी में किया जाएगा

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Aary Baid
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

lokendra
लोकेंद्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-2

Shi
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Shi

(दीक्षा भण्डारी)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

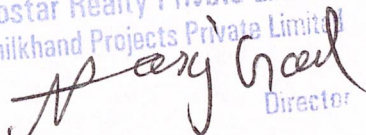
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 22

शर्त संख्या-22 , प्रमाणित किया जाता है कि पेड़ों की कटाई की लागत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग के पास जमा की जाएगी।


लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

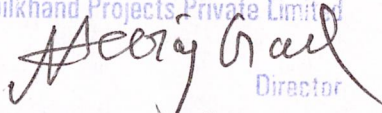
वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 23

शर्त संख्या-23 , प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव का लेआउट प्लान केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा;


लोकेंद्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-2


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 24

शर्त संख्या-24 , प्रमाणित किया जाता है कि डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा;

18/11
लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
से० अ० फरीदपुर-2

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Meeraj Singh
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

(दीक्षा भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

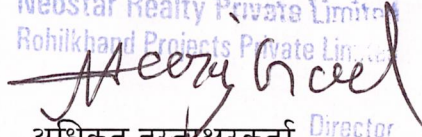
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 25

शर्त संख्या-25 , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी राष्ट्रीय आर एंड आर नीति के अनुरूप राज्य सरकार की आर एंड आर नीति के अनुसार लागू होने पर आर एंड आर योजना को लागू करेगी। परियोजना कार्य एवं कार्यान्वयन प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार। उक्त आर एंड आर योजना की निगरानी राज्य सरकार/एमओईएफ एंड सीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी;


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ०.क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

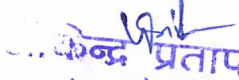
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

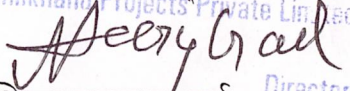

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 26

शर्त संख्या-26 , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी उपर्युक्त शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और इस मंत्रालय को हर साल मार्च के अंत तक नियमित रूप से प्रस्तुत करेगी;


...केन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना० फरीदपुर रेंज
से० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neustar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0

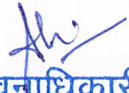

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

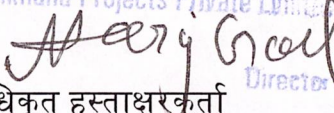
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षो के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 27

शर्त संख्या-27 , प्रमाणित किया जाता है कि कोई अन्य शर्त जो मंत्रालय का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित कर सकता है; मान्य होगी


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

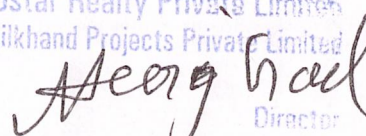
जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 28

शर्त संख्या-28 , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ने सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों और एनजीटी के आदेशों सहित सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है। इस परियोजना से संबंधित वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन, भी किया गया है


प्रताप सिंह
उ० ध० वना०
से० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Newstar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन 0 एच 0 -30 (पुराना एन 0 एच 0 – 24) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0 द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र बिंदु सं- 29

शर्त संख्या-29 , प्रमाणित किया जाता है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत जारी समेकित दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों मंत्रालय का पत्र दिनांक 29.12.2019 के पैरा 1.16 में निर्धारित अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


लोकेंद्र प्रताप सिंह
उ० क्षे० वना०
सी० अ० फरीदपुर रेंज


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा0 लि0

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा 0 लि 0


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली